फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

गंगाराम बनाम भाक भाउरी (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111-128 न० 121 सन 2022

...क	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...-22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 12-7-22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
...7-22	उभय पक्ष उपस्थित / पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30.8.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
...8-22	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 22.11.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
...-11-22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार [illegible] निर्णय [illegible] पत्रावली फैसल पृथक से लिखवा जाकर [illegible] शुमार होकर नम्बर से [illegible] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:57:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारीं, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा (राज०)

सीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर०ए०एस०)

मा संख्या– 121/22 प्रा० पत्र

श्री गंगाराम s/o श्री गैंब, बैरवा निवासी- पीथास तहसील - माण्डल (भीलवाड़ा)

–प्रार्थी

बनाम

श्री माव, s/o श्री कजोड़ गाडरी निवासी- पीथास तहसील - माण्डल (भीलवाड़ा)
(हस्तांकित प्रापत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :– 22.11.22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. संलग्न सूची अनुसार कुल किता 09 रकबा 2.5420 यर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की रगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.06.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का कारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीथास पटवार का पीथास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1775, 1777, 1782 न किता 09 रकबा 2.5420 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी ये जाने हेतु पत्थगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख रीक्षक पीथास को 1000/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार नकर पत्थगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

तिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि ... कराने पर नियमानुसार त्थगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:57:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा